

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054 व 2055 / 2016 जिला : उदयपुर.....
 मैसर्स ई.आई.एच.एसोसियेटेड होटल्स लिमिटेड, उदयपुर व मैसर्स ई.आई.एच.यूनिट उदय विलास, उदयपुर
 बनाम अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	----------------------------------	--

12.01.2016

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

अपीलार्थी की ओर से श्री राकेश मेहता, अभिभाषक एवं आर.सी. विजयवर्गीय, कर सलाहकार एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त आठ अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 19.10.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 सपठित राजस्थान विलासिता कर अधिनियम, 1990 (जिसे आगे 'विलासिता कर अधिनियम' जायेगा) की धारा 82 एवं 84 के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें सहायक आयुक्त, करापवंचन, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा विलासिता अधिनियम की धारा 17(1), (2) 20, 21 (5) व 26 के तहत पारित पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.12.2014 एवं 05.01.2015 निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के सम्बन्ध में निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों में से आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यथावत रखे गये कर एवं ब्याज राशियों को स्थगित करने निवेदन किया गया है :-

अ.स.	कर	ब्याज
2048 / 15	630899 / -	668753 / -
2049 / 15	731048 / -	614080 / -
2050 / 15	684662 / -	410784 / -
2051 / 15	1263812 / -	909944 -
2052 / 15	1797627 -	3505254 / - 1833530 / -
2053 / 15	1960153 / -	1528920 / -
2054 / 15	2418871 / -	1306190 / -
2055 / 15	2959010 / -	887703 / -

प्रकरणों संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वक्त सर्वेक्षण पाये गये इनवाईस के अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी व्यवसायी ने केवल मात्र रूम रेन्ट प्रतिफल (सेल्स) पर वसूली की गई राशि पर ही विलासिता कर संग्रहण कर राजकोष में जमा कराया है जबकि विलासिता कर अधिनियम की धारा 2(1), (4) एवं धारा 3 के अनुसार होटल में निर्धारित अवधि के लिए ठहराये गये कस्टमर से होटल में उस अवधि में उपलब्ध कराये जाने वाली समस्त विलासिता (लग्जरी) पर प्राप्तियों के प्रतिफल के रूप में होटलियर को स्वयं अथवा उसके एजेन्ट को जो "समग्र प्राप्तियों" मिलती है, वे समस्त प्राप्तियाँ ही होटलियर का टैक्सेबल टर्नओवर बनाती हैं जिस पर विलासिता कर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
 हुन के उदयपुर
 12

अधिनियम (4) के अनुसार कर देयता का दायित्व बनता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा होटेलियर द्वारा ~~समस्त~~ सम्पूर्ण प्राप्तियों पर विलासिता कर अदा किया जाना नहीं पाये जाने के कारण कर अधिकारी ने समस्त प्राप्तियों पर कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया है, के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार कर एवं ब्याज को यथावत रखा है, जिनकी वसूली को स्थगत किये जाने का निवेदन किया गया है।

बहस में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा रुम सेल्स पर वसूल की गई राशि पर विलासिता कर संग्रहण कर राजकोष में जमा कराया है किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने विलासिता कर अधिनियम की धारा 2(1), (4) एवं धारा 3 के अनुसार होटल में निर्धारित अवधि के लिए ठहराये गये कस्टमर से होटल में उस अवधि में उपलब्ध कराये जाने वाली समस्त विलासिता (लग्जरी) सेवाओं के प्रतिफल में होटेलियर को स्वयं अथवा उसके एजेन्ट को प्राप्त "समग्र प्राप्तियों" को टैक्सबल टर्नओवर में शामिल कर लिया है, अतः विलासिता कर अधिनियम (4) के अन्तर्गत विलासिता कर, ब्याज जो उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित किया गया है, विधिक नहीं है। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के कर निर्धारण को, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खोलकर पुनः कर, शास्ति एवं ब्याज आरोपित की है। अपीलीय अधिकारी ने समस्त शास्तियों को अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपास्त करते हुए कर एवं ब्याज को विद्यमान रखा है। उन्होंने स्पा पर लग्जरी टैक्स को अपास्त कर टेलीफोन चार्ज को लग्जरी टैक्स से मुक्त रखा है, किन्तु शेष लग्जरी टैक्स यथा लाउण्ड्री, इन्टरनेट सर्विस, हार्स राइडिंग, केमल राइडिंग एवं अन्य सेवाओं पर आरोपित लग्जरी टैक्स को विधिक मानते हुए कायम रखा है। अपीलार्थी व्यवहारीगण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया उनकी कम्पनी द्वारा होटल बार, रेस्टोरेन्ट संचालित करने का व्यवसाय किया जाता है तथा इसके अन्तर्गत रुम, बार, रेस्टोरेन्ट स्पा एवं हेल्थ क्लब, सेलून आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं, होटल में फूड एवं ब्रेवरेज आदि के विक्रय के अतिरिक्त अन्य सेल्स में यथा 1. लाण्ड्री, 2. स्पा सर्विस, 3. इन्टरनेट सर्विस सर्विस आदि से आय प्राप्त होती है, जिन पर कम्पनी द्वारा सर्विस टैक्स का भुगतान किया जाता है। उन्होंने यह भी कथन किया कि लग्जरी एवं सर्विस टैक्स को पृथक-पृथक दर्शाया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	लाण्ड्री	Executive center	टेलीफोन
1	2	3	4
2010-11	2490320	20781	24819
2011-12	2479996	16825	209323
2012-13	2486860	31805	207590
2013-14	2743066	32355	86708

बोट	स्पा	बेक्विट	योग
5	6	7	8
2173029	-	-	6552811
3221468	-	-	-
2352338	-	-	-
2978203	2054699	1925224	-

सर्विस टैक्स पर नियमानुसार देय लग्जरी टैक्स नहीं जमा कराया गया है जबकि सर्विस टैक्स की उक्त समस्त प्राप्तियों टैक्सेबल टर्नओवर का निर्माण करती है, किन्तु अभिभाषक के अनुसार इस पर विलासित कर देय नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया है, पर निम्न तालिका के अनुसार वसूली को स्थगित करने का निवेदन किया गया है :-

अ.स.	कर	ब्याज
2048 / 15	596342 / -	602305 / -
2049 / 15	675401 / -	533566 / -
2050 / 15	610177 / -	335597 / -
2051 / 15	973803 / -	301879 / -
2052 / 15	402803 / -	390719 / -
2053 / 15	474672 / -	346510 / -
2054 / 15	570066 / -	279332 / -
2055 / 15	831571 / -	207893 / -

उनके द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर व ब्याज बाबत, सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए उक्त मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की है तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। विलासिता कर अधिनियम की धारा 4 का अध्ययन किया गया, जो निम्न प्रकार है:-

"4.Charge, rate of tax and prohibition of unauthorized collection :- (2) where in addition to the charges for luxury provided in a hotel, service charges are levied and appropriated by the hotelier and not paid to the staff, then such charges shall be deemed to be part of charges for luxury provided in the hotel."

अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि के तर्क में बल है कि व्यवहारी ने सर्विस चार्ज को एप्रोप्रियेट किया है और उसका स्टाफ को भुगतान नहीं किया गया है। अतः लग्जरी टैक्स की धारा 4 के तहत उपरोक्त सर्विस चार्जेज, होटल में प्रदत्त लग्जरी विलासिता चार्जेज में समाविष्ट किया जाकर, जो कर देयता निर्धारित की गई है, वह प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होती है। यह कहना समीचीन होगा कि लग्जरी टैक्स की जो परिभाषा है, उसमें 'रूम रेन्ट' के अलावा अन्य लग्जरी सर्विसेस की विशद

12

व्याख्या करते हुए इसमें 'लाइक इन होटल' को भी सम्मिलित किया गया, जिससे समस्त सर्विसेज पर करारोपण के लिए पूर्ण विधि अनुसार है। चूंकि लगजरी टैक्स में विक्रय की परिभाषा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2(36) सपठित राजस्थान विलासिता कर अधियम, 1990 की धारा (2) में दी गई है। उक्त धारा की उप धारा (2) में निम्न वर्णित किया गया है :-


"(2)All words and expression which are used but are not defined in this Act and are defined in the Sales Tax Act shall have the meanings assigned to them in that Act."

अतः सर्विस टैक्स में सेल की परिभाषा भी उक्त परिप्रेक्ष्य में विवेचित की जायेगी। सर्विस टैक्स एक Statutory Levy है और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 (36) में वर्णित सेल प्राईस में समाविष्ट किये जाने का है। चूंकि सर्विस टैक्स एक Statutory Levy है, अतः लगजरी कर के प्रकरण में भी, सर्विस टैक्स की राशि पर लगजरी टैक्स की कर देयता विद्यमान रहती है, इसलिए विक्रय के उक्त कम्पोनेन्ट पर करारोपण किया जाना प्रथम दृष्टया समीचीन है।

फलस्वरूप अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई बहस एवं प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण आदेश में विवेचित संव्यवहारों के संदर्भ में आरोपित विलासिता कर एवं उस पर आरोपित ब्याज के विवादित बिन्दु पर हस्तगत प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, आरोपित विलासिता कर जमा कराने की शर्त पर उपरोक्त तालिका के अनुसार आवेदित ब्याज राशियों को स्थगित किये जाने के निवेदन को स्वीकार किया जाकर ब्याज राशियों की वसूली के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उपरोक्त तालिका में अंकित ब्याज राशियों की वसूली की कार्यवाही अपील निर्णय होने तक स्थगित रखी जाये। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रिकार्ड को अविलम्ब में मंगवाया जाये। मिसल वास्ते बहस 11.04.2016 दिनांक खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत हो।

निर्णय सुनाया गया


(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य